

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध (सी०एन०टी०) वाद संख्या-105/2012-13

मुक्तेश्वर रजवार एवं अन्य

बनाम्-

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड

-::आदेश::-

29.08.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। आवेदक 1. श्री मुक्तेश्वर रजवार 2. श्री मदन रजवार 3. श्री अलकु रजवार तीनों पिता स्व० गंगाधर रजवार जाति रजवार ग्राम-महाल टोला भंडारीबाध, थाना चन्दनकियारी जिला-बोकारो के द्वारा निज भूमि जिसका ब्यौरा नीचे अंकित है, को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०-10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी०एस०सीटी को कल-कारखाना लगाने हेतु बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए सी०एन०टी० एक्ट की धारा 49 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

-: जमीन का विवरण :-

मौजा/ग्राम - आसनसोल

थाना संख्या -223

खाता सं०	प्लॉट सं०	बिक्री हेतु रकवा
17	1306	20 डी०

इस संदर्भ में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1053, दिनांक-04.07.2024 का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा आसनसोल, थाना सं०-223, गत सर्वे खाता सं०-17, हाल सर्वे खाता सं०-258, गत सर्वे प्लॉट सं०-1306, हॉल प्लॉट सं०-1186, कुल रकवा 34 डी० बिक्री हेतु प्रस्तावित रकवा 20 डी० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिसका किस्म कनाली तथा भूमि का स्वरूप पाईप परती है। बिक्रेता का मूल निवास ग्राम महाल, टोला भण्डारी बांध, पो० महाल, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो है जो जाति के रजवार

है एवं अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। सर्वे खतियान के अनुसार बिक्री की जाने वाली भूमि का खतियान शिबु रजवार वगै० के नाम दर्ज है। सरकारी अभिलेख पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-258 भौलुम सं०-01 ऑनलाईन में शिबु रजवार वगै० के नाम से दर्ज है। खतियानधारी/जमाबंदी रैयत से बिक्रेता का पुत्र का संबंध है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक एवं हिस्से के अन्तर्गत आता है बिक्रेता का दखल-कब्जा है। बिक्रेता को उक्त भूमि खतियान/केवाला/घरेलु बँटवारा द्वारा प्राप्त है। क्रेता भूमि क्रय करने पश्चात भू-हदबंदी के दायरे में नहीं आते हैं। बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि भूदान, सैरात, वनभूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। भूमि बिक्री करने के उपरांत बिक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के तहत बिक्री की अनुमति दी जाने के लिए अनुशंसा की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा आसनसोल, थाना सं०-223, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-1306, रकवा 20 डी० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। आवेदक स्वेच्छा से प्रश्नगत भूमि, द्वितीय पक्ष (इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड) को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री करना चाहते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के दलील, अभिलेख में संधारित अन्य कागजात एवं अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा आसनसोल, थाना सं०-223, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-1306, रकवा 20 डी० की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिस पर आवेदक का अपना स्वत्व, स्वामित्व, हक एवं पूर्ण अधिकार के साथ शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। जिसे आवेदक स्वेच्छा से इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०-10 लोहान्वल कॉलोनी, थाना सेक्टर-12 बी०एस०सिटी को कल-कारखाना लगाने के उद्देश्य से बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करना चाहते हैं।

वर्णित परिस्थिति में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजात के आधार पर आवेदक 1. श्री मुक्तेश्वर रजवार 2. श्री मदन रजवार 3. श्री अलकु रजवार तीनों पिता स्व० गंगाधर रजवार जाति रजवार ग्राम— महाल टोला भंडारीबाध, थाना चन्दनकियारी जिला—बोकारो द्वारा द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना—सियालजोरी, जिला—बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०—10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर—12 बी०एस०सिटी को प्रश्नगत भूमि मौजा आसनसोल, थाना सं०—223, खाता सं०—17, प्लॉट सं०—1306, रकबा 20 डी० भूमि विक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—49 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:—

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, मौजा सियालजोरी, थाना—सियालजोरी, जिला—बोकारो द्वारा मुख्तारनामा आमधारक श्री श्रीश कुमार पुत्र बाँके बिहारी केजरीवाल, निवासी प्लॉट सं०—10 लोहान्चल कॉलोनी, थाना सेक्टर—12 बी०एस०सिटी किसी भी कारण से उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—49(3) के आलोक में विक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा

संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।

4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

११/२९/१८
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

११/२९/१८
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

स्थान:- बोकारो

दिनांक:- 29/08/2024